वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 161/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-03.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 03.05.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है।

01.थाना बिलरियागंज: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना

अवगत कराना है कि दिनांक 01.05.25 को वादी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी विक्रम गौड़ पुत्र अज्ञात निवासी कोलघाट आजमगढ द्वारा शादी का झांसा देकर मेरी पुत्री के साथ शाररिक सम्बन्ध बनाते हुए वीडियो बनाया गया तथा शादी करने के लिए कहने पर मना करते हुए गाली गुप्ता देते हुए जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया व शादी लगने पर वीडियो भेजकर शादी तुडवा दी गयी, के सम्बन्ध मे थाना बिलरियागंज पर **मु0अ0सं0 129/2025 धारा 69/352/351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट व 3(1)द,3(1)ध व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट** पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी शुभम तोदी द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 03.05.25 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित **अभियुक्त विक्रम गौड़ पुत्र राजकुमार निवासी ठकुरहन रैदोपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को सियरहा अण्डर पास के पास से समय करीब 06.45 बजे** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 129/2025 धारा 69/352/351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट व 3(1)द,3(1)ध व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट .थाना बिलरियागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1-विक्रम गौड़ पुत्र राजकुमार निवासी ठकुरहन रैदोपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

02. थाना पवईः साइबर फ्राड का 38000 रूपया वापस कराया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 09.10.2024 को आवेदक विनोद कुमार गुप्ता पुत्र छोटेलाल निवासी लखमापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके 38000/- रूपये का साइबर फ्राड कर दिया गया जिसके सम्बन्ध में साइबर हेल्पलाइन नं0 1930/https://cybercrime.gov.in/ पर शिकायत पंजीकृत करायी गयी जिसका Ack No. 33102250XXXX है । उपरोक्त 38000 रू0 साइबर पुलिस टीम पवई द्वारा धोखाधड़ी करने वाले के खाते में रूपया फ्रीज करा दिया गया । विधिक कार्यवाही करते हुए आवेदक का फ्राड हुआ 38000 रूपये वापस करा दिया गया है ।

रूपया वापसी का विवरणः-

आवेदक विनोद कुमार गुप्ता पुत्र छोटेलाल निवासी लखमापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के फ्राड हुए रूपये कुल 38000 रू0 के सम्बन्ध मे द्वारा सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क करने के उपरान्त मा0 न्यायालय से रूपया रिलीज हेतु कोर्ट आर्डर बनवाया गया एवं रूपया रिलीज करने हेतु कोर्ट ऑर्डर को सम्बन्धित बैंक के नोडल अधिकारी/शाखा को जरिये इमेल सम्पर्क कर आदेश की प्रति भेजा गया । व आवेदक विनोद कुमार गुप्ता पुत्र छोटेलाल निवासी लखमापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के एकाउण्ट नंबर 2795000100XXXXX पंजाब नेशनल बैंक मे **कुल 38000 रूपया (REFUND) अवमुक्त किया** कराया गया । आवेदक अपना फ्रॉड हुआ रूपया पाकर अत्यन्त प्रसन्न है और पुलिस का आभार प्रकट कर रहा है ।

बरामदगी करने वाली साइबर टीम का विवरणः-

1. क0आ0 आदेश कुमार थाना पवई जनपद आजमगढ ।
2. म0का0 अंशिका यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़ ।

03.थाना- जीयनपुर: चोरी गये दो प्रतिबंधित पशु के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 02.05.2025 को आवेदक चेतू गोंड पुत्र चन्द्रभान ग्राम कादीपुर उर्फ रजादेपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उपस्थित थाना हाजा आकर एक किता प्रार्थना पत्र दिये कि दिनांक 1.5.2025 को मेरी एक प्रतिबंधित पशु जो घर के बगल मे चर रही थी, चोरी हो गयी है, पुनः दिनांक 02.05.2025 को मेरी एक राशि प्रतिबंधित पशु साहीवाल प्रजाति सुबह करीब सात बजे मेरे घर से कोई चुरा ले गया हम लोग काफी तलास किये तो मेरे गाँव के रहने वाली मन्जू गोंड पत्नी मंजन गोंड ने आकर बताया की ताल की तरफ हरखोरी के रहने वाला सत्यम सिंह पुत्र मैनेजर सिंह तथा धनछुला का रहने वाला सूरज पुत्र सोनू उर्फ सुन्ना दोनो आप की प्रतिबंधित पशु लेकर जा रहे थे मै सोची की आपने बेच दिया होगा। उसके बाद मै दोनो के घर पर गया तो दोनो घर पर नही मिले मुझे शंका है कि जो प्रतिबंधित पशु कल चोरी हुयी थी वह भी इन्ही दोनो लोगो ने चुराया है के सम्बन्ध मे सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ कि दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0स0 163/2025 धारा 303(2) BNS** थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम 1. सत्यम सिंह पुत्र मैनेजर सिंह निवासी ज हरखोरी थाना जीयनपुर आजमगढ़ 2.सूरज पुत्र सोनू उर्फ सुन्ना निवासी धनछुला .थाना जीयनपुर आजमगढ़ पंजीकृत हुयी जिसकी विवेचना उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक 03.05.2025 को **उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप मय हमराह** द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त सत्यम सिंह पुत्र मैनेजर सिंह नि0ग्राम हरखोरी थाना जीयनपुर आजमगढ** को **चोरी गये 02 प्रतिबंधित पशु के साथ समय करीब 18.30 बजे** गोगा साह तिराहा अजमतगढ थाना जीयनपुर आजमगढ़ से हिरासत पुलिस में लिया गया व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा **317(2)BNS की बढ़ोत्तरी** की गयी व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

04.थाना गम्भीरपुर: अपहरण के मुकदमें से सम्बंधित अभियुक्त गिरफ्तार व अपहृता बरामद

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.04.2025 को वादी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र वादी की लड़की को दिनांक 18.04.2025 को समय करीब 05.00 बजे को कही चले जाने वादी को शक है कि विपक्षी राजा सरोज पुत्र पप्पू सरोज बहला फुसलाकर कर कही लेकर चला जाना वापस न आने के सम्बन्ध में **मु.अ.सं. 102/2025 धारा 87,137(2),बीएनएस**, बनाम राजा सरोज पुत्र पप्पू सरोज ग्राम धरनीपुर विषया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र 19 वर्ष पंजीकृत किया गया था। दिनांक 02.05.2025 को अपहृता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त दीपक पुत्र राजाराम विन्द निवासी ग्राम छाऊं थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 02.03.2025 को **उ0नि0 विपिन द्विवेदी** कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित **अभियुक्त दीपक पुत्र राजाराम विन्द निवासी ग्राम छाऊं थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़** को समय करीब 17.30 बजे **दयालपुर मोड़ से मय अपहृता** के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।